




# केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

**Central Warehousing Corporation**  
(A Government of India Undertaking)



No.CWC/I-Sports/Stipend/2014-15

Date:17/11/2014

## CIRCULAR

**Award of scholarship by CWC to the talented(Male/Females)/students/Players in the field of Cricket, Table tennis and badminton.**

1. **AGE GROUP**:- The scholarship shall be available to the students/Players in the age group 15-24 years and interested eligible wards of our employees.
2. **STREAMS**:- The scholarship shall be awarded in Cricket, Table Tennis & Badminton.
3. **NUMBER OF SCHOLARSHIPS**:- The number of scholarships in the scheme will be 27 for a period of one year- in Cricket: 11 Nos (Men), Table Tennis: 8 Nos (4 Women & 4 Men) and badminton 8 Nos, (4 Men & 4 Women).
4. **AMOUNT OF SCHOLARSHIP**:- Stipend remuneration may be amended from time to time. Presently, the amount of scholarship is Rs.4,000/- per month per players.
5. **DURATION**: The scholarship will be given initially for a period of one year.
6. **Last date of receipt of Application** :- 11.12.2014
7. **ELIGIBILITY CRITERIA**: The scholarship shall be awarded to such players/persons whose individual performance is exemplary in National School Games, Junior/Senior National Championship, All India Inter-University Tournament even though their teams have not secured first, second or third place. Players with outstanding performance in local tournaments shall also be considered although they have not represented State.

(Contd...2)

## **8. Terms & Conditions**

1. That you are not a recipient of any other scholarship of any other scholarship/stipend from any other sources.
2. That you will continue your studies as well as the game concerned diligently and will show improved performance in both.
3. You will submit the certificates duly attested by the DDCA/Head/Principal of the Educational Institute in which you are studying that you are a bonafide student. Also produce all original certificates for verification.
4. That you will make yourself available for such practice/camp/tournaments as and when required by Secretary (Sports Promotion Board), Central Warehousing Corporation.
5. That you will not behave in a manner during the period under the Scholarship/stipend which may cause embarrassment to CWC and also will not take part in any activity 'Prejudicial' to the law of the land. You will also abide by the rules and regulations, stipulations etc. framed by Secretary (SPB), CWC, from time to time.
6. You will not represent any club/institute/association other than educational institution without obtaining the prior approval from Secretary (SPB), Central Warehousing Corporation.
7. That Secretary, (Sports Promotion Board) can withdraw the scholarship at any time without any notice or assigning any reason.
8. You are required to obtain the concurrence of your parent/guardian in writing duly attested by a gazetted office as per Annexure- A & B.
9. If you will accept any scholarship/stipend/employment from any other institution, the scholarship/stipend so awarded by CWC will cease automatically.
10. The Secretary, Sports Promotion Board would monitor your performance from time to time and release the scholarship/stipend amount.
11. Grant of scholarship/stipend does not confer any justifiable right in the recipient and is being granted at the discretion of CWC, to promote sports activity in the country and provide much needed financial assistance to otherwise talented sports persons.
12. The interested players may send their request to Secretary (Sports Promotion Board) at Central Warehousing Corporation 4/1 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

  
**(RAJEEV VINAIK)**  
**SPORTS SECRETARY**



# केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

## Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)



### SPORTS SCHOLARSHIP

**CWC invites** applications from talented players of School/Colleges in the field of Cricket (Male), Table Tennis (Male & Female), Badminton (Male & Female) for award of scholarship for a period of one year. **AGE GROUP:** 15-24 years. **TOTAL NUMBER SCHOLARSHIP:** Cricket 11 Nos., (Male only), Badminton 8 Nos. (4 Male & 4 Female), Table Tennis 8 Nos. (4 Male & 4 Female). No. of scholarship may be increased/decreased at the discretion of Secretary Sports Promotion Board. **STIPEND AMOUNT:** Stipend remuneration may be amended from time to time. Presently **Rs.4000/-** per month per player. **Last Date of receipt of application is 11.12.2014** (With all documents like Date of Birth, Photocopy of ID Card of School/College/University National State University level, Certificates/paper cuttings). **ELIGIBILITY CRITERIA:** The scholarship shall be awarded to such players/persons whose individual performance is exemplary in National School Games, Junior/Senior National Championship, All India Inter University Tournament even though their teams have not secured first, Second or third place. Players with outstanding performance in local tournaments shall also be considered even if they have not represented State. The scholarship shall be awarded in Cricket, Table Tennis & Badminton. Corporation reserve the right to select/reject the candidates without assigning any reason, based on their performance and decision of the Corporation shall be final and binding on all concerned. Selection of eligible candidates will be solely at discretion of Corporation. For further details please contact our website [www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in) & [www.tenderhome.com](http://www.tenderhome.com).

  
(SPORTS SECY.)



# केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

## Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)



सं०:के.भ.नि./ 1-खेलकूद/ छात्रवृत्ति /2014-2015

दिनांक: 17.11.2014

### परिपत्र


केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा प्रतिभावान (पुरुष एवं महिलाएं) छात्रों/खिलाड़ियों को क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए खेल छात्रवृत्ति प्रदान करना।

इस योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. आयु वर्ग: यह छात्रवृत्ति उन छात्रों /हमारे कर्मचारियों के पात्र बच्चों को प्रदान की जायेगी जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष तक है।
2. स्ट्रीम: क्रिकेट, टेबल टेनिस, तथा बैडमिन्टन में स्कॉलरशिप दी जाएगी।
3. छात्रवृत्तियों की संख्या: छात्रवृत्ति की कुल संख्या 27 है जो कि एक वर्ष के लिए है। क्रिकेट के लिए 11(पुरुष), टेबल टेनिस के लिए 8(4 पुरुष एवं 4 महिलाएं) और बैडमिंटन के लिए भी 8 (आठ) 4 पुरुष एवं 4 महिलाएं।
4. छात्रवृत्ति की राशि: छात्रवृत्ति भत्ता समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है। अभी छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह प्रति खिलाड़ी के लिए रू0 4000/- रू0 है।
5. अवधि: आरम्भ में छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष होगी।
6. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 11.12.2014
7. पात्रता :यह छात्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी जिनका व्यक्तिगत निष्पादन नेशनल स्कूल गेम्स जूनियर/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इण्डिया इन्टर यूनीवर्सिटी टूर्नामेंट में अनुकरणीय रहा है। चाहे उनकी टीम ने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो अथवा नहीं। लोकल टूर्नामेंट के दौरान जिस खिलाड़ी का व्यक्तिगत प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। चाहे उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
8. छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निदेश नीचे दिये गये है:-  
क.) वह खिलाड़ी अन्य किसी स्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति न ले रहा हो

21.11.14

- ख.) इस दौरान वह खेल और पढ़ाई दोनों जारी रखेगा और दोनों में ही अपने व्यक्तिगत निष्पादन में सुधार करेगा।
- ग.) वह जिस शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहा है, उसके प्रधान द्वारा उसे इस आशय का विधिवत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह एक बोनाफाइड छात्र है तथा खेलों के प्रदर्शन से संबंधित यदि कोई अखबारों की कटिंग है तो उसको भी प्रस्तुत करेगा अथवा स्थानीय खेल निकाय का प्रमाणपत्र संलग्न करेगा कि जब कभी भी केंद्रीय भंडारण निगम खेलकूद संवर्धन बोर्ड को उसकी आवश्यकता होगा, वह बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा।
- घ.) वह इस बात का सदैव ध्यान रखेगा कि वह कभी भी गलत आचरण नहीं करेगा जिससे कि केंद्रीय भंडारण निगम को शर्मिन्दगी उठानी पड़े। वह ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जो कानूनी रूप से गलत हो। वह केंद्रीय भंडारण निगम खेलकूद संवर्धन बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाये गये हैं।
- ङ.) वह केंद्रीय भंडारण निगम से पूर्व अनुमति लिये बिना शैक्षणिक संस्थान के अलावा किसी भी क्लब/संस्थान/संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
- च.) केंद्रीय भंडारण निगम बगैर किसी नोटिस, कारण बताए छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है।
- छ.) उसको अपने माता-पिता/संरक्षक से लिखित में सहमति लेनी होगी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिए।
- ज.) अगर वह किसी अन्य संस्थान से छात्रवृत्ति/रोजगार स्वीकार कर लेता है तो केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति अपने-आप बन्द हो जायेगी।
- झ.) सचिव (खेलकूद संवर्धन बोर्ड) उनके निष्पादन का समय-समय पर जायजा लेंगे और छात्रवृत्ति राशि जारी करेंगे।
- ञ.) किसी प्राप्तकर्ता को स्कालरशिप/स्टाइपेंड लेना उसका न्यायोचित अधिकार नहीं है और इसे देश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभावन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के स्वविवेक पर प्रदान किया जा रहा है।
- ट.) छात्रवृत्ति के लिए इच्छुक खिलाड़ी अपना आवेदन केंद्रीय भंडारण निगम, सचिव (खेलकूद संवर्धन बोर्ड), 4/1, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016 को भेज दें। छात्रवृत्तियां केवल क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए ही प्रदान की जायेंगी।

  
(राजीव विनायक)  
खेल सचिव



# केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)


**Central Warehousing Corporation**

(A Government of India Undertaking)



## खेल-कूद छात्रवृत्ति

केंद्रीय भण्डारण निगम स्कूल/कालेज के क्रिकेट (पुरुष), टेबल टेनिस (पुरुष एवं महिला) एवं बैडमिंटन (पुरुष एवं महिला) के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों से एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आयु वर्ग: 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। छात्रवृत्ति संख्या: छात्रवृत्ति की कुल संख्या 27 है जिसमें से क्रिकेट (केवल पुरुष) के क्षेत्र में 11, बैडमिंटन (पुरुष एवं महिला दोनों) के क्षेत्र में 8 तथा टेबल टेनिस (पुरुष एवं महिला दोनों) के क्षेत्र में 8 है। सचिव स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के विवेक पर इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी की जा सकती है। छात्रवृत्ति भत्ता समय-2 पर संशोधित भी किया जा सकता है। राशि: ₹04000/- प्रतिमाह प्रति खिलाड़ी अभी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11.12.2014 है। (जन्म तिथि, स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के पहचान पत्र की छाया प्रति प्रमाण पत्र/पेपर कटिंग जैसे सभी दस्तावेजों सहित)। पात्रता मानदंड : छात्रवृत्ति उस खिलाड़ी/व्यक्ति को दी जाएगी जिसका नेशनल स्कूल गेम्स/जूनियर/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिक प्रदर्शन एक उदाहरण हो चाहे उसकी टीम ने पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त न किया हो। लोकल टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने पर भी विचार किया जाएगा भले ही उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व न किया हो। छात्रवृत्ति क्रिकेट, टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन के क्षेत्र में दी जाएगी। कोई कारण बताये बिना उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन/अस्वीकृत करने का निगम का अधिकार सुरक्षित है। निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा। पात्र उम्मीदवारों का चयन केवल निगम के विवेक पर होगा। और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in) एवं [www.tenderhome.com](http://www.tenderhome.com) देखें।

  
(खेल सचिव)